न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस

अपील संख्या 98/2018

रामकुमार पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी चक 4 पी ए ढ़ाणी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. सतपाल पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी 2 पी ए तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ दिनांक 01.06.2018

उपस्थिति :–

श्री भरतकुमार अभिभाषक अपीलार्थी

श्री संतकुमार बिश्नोई अभिभाषक रेस्पो0

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 10/1/19

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक प्रा.पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत पेश कर चक 4 पी के मु.नं. 19 प.नं. 199/54 कि.नं. 11 से 14, 17 से 20 की 7.10 बीघा भूमि में आने–जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 की इसी मु.नं. के कि.नं. 6 के चिपते कि.नं. 15 में से 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि कि.नं. 15 में कोई रास्ता चालू नहीं है। कि.नं. 15 में अप्रार्थी की ढाणी बनी हुई है जिसमें अप्रार्थी परिवार सहित निवास कर रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को नुकसान पंहुचाने के लिए प्रा.पत्र पेश किया है। अप्रार्थी को जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात प्रा.पत्र स्वीकार कर आवेदित रास्ता स्वीकार कर रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी.एल.सी. की दर से दृगुणी राशि दिलाने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि कि.नं. 15 में अपीलांट की ढाणी बनी हुई है जिसमें अपीलांट परिवार सहित निवास करता है। रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु इसी मुरब्बा के सह खातेदार निर्मल सिंह के कि. नं. 6 में से रास्ता चल रहा है। प्रार्थी ने सह खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है। जब रेस्पों. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। अधी. न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत करने में विधिक भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रेस्पों. को अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी.एल.सी. की दर से दुगुणी राशि दिलाये जाने के आदेश दिये हैं। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि मौका पर कि.नं. 15 में अपीलांट की ढाणी बनी हो। रेस्पों. को अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से जो रास्ता स्वीकृत किया है, वह उचित होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार यह प्रतीत होता है कि अपीलांट एवं रेस्पों. के मध्य इस रास्ता के सम्बन्ध में पुलिस थाना तक विवाद चला है, इसके अतिरिक्त अपीलांट ने कि.नं. 6 में रास्ता चालू होना बताया है। अपीलांट का मुख्य तर्क यह भी रहा है कि कि.नं. 15 में अपीलांट की ढाणी बनी हुई है एवं वह परिवार सहित निवास कर रहा है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा नहीं किया गया है। चूंकि अपीलांट व रेस्पों. आपस में भाई है, पक्षकारों में ओर अधिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प सरदारसिंहनगर

विवाद न बढे इसे दृष्टिगत रखते हुए एवं अपीलांट द्वारा कि.नं. 6 में रास्ता चालू होना बताये जाने को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों को सुनकर अधी. न्यायालय द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/1/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर